

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाआ के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम—2023” कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिमाणार्थ— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा—

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन को अधिसूचना के कारण दिनांक 01—11—2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘आभातशिप’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी षिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

- (6) 'पीपीटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।
- (7) 'डिप्लोमा इंजीनियरिंग' से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।
- (9) माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर, दंतेवाड़ा जिले, एवं गैर माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है माओवाद प्रभावित जिलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले।
3. **प्रवेश हेतु आरक्षण—** डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।
4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—**
- (1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (2) डिप्लोमा कास्टर्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (3) डिप्लोमा मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा अभातशिप द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2 वर्षीय आईटीआई. प्रमाण—पत्र (NCVT/SCVT) से जारीद्वारा परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा —**

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियाँ—**

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियाँ बनाई जायेगी—
 - (क) पीपीटी प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची पीपीटी में प्राप्तांकों के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ख) कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा जिलों के अभ्यर्थियों के लिये कक्षा 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ग) कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (घ) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 12वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ङ) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची— यह प्रावीण्यता सूची, जो अभ्यर्थी आई टी आई के आधार पर प्रवेश चाहते हैं, उनके आई टी आई के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं जो अर्थर्थी कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश चाहते हैं उनके कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों का प्रतिशत घटते क्रम में रखकर बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक, प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग—** सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. सीट आबंटन का क्रम —

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु —

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु —

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ग) खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा एवं इसके बाद भी यदि सीटे बची रह जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(घ) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार आबंटन के बाद यदि इन माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटे बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर—माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु —

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटे बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(2) कास्ट्रयूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु —

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु—

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्हीं जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयीकक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटे बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर—माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु —

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटे बच जाती हैं तो

उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(3) मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्हीं जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर वही हुई सीटों का आबंटन इन्हीं जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर-माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ड) की प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश –

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. प्रवेश की अंतिम तिथि— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. प्रवेश रद्द करना— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. कठिनाईयों का निराकरण— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. संशोधन— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. निर्वचन— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रज्ञ उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति— इस नियमों के तत्त्वानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission to Diploma Programs for Polytechnic institutions of Chhattisgarh, namely:

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called “Admission Rules for Diploma Programs for Polytechnic Institutions of Chhattisgarh, 2023”.
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) “Chhattisgarh” means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) “AICTE” means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) “Candidate” means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) “Minority Institution” means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) “Private Institution” means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (6) “PPT” means the Pre Polytechnic Test, State Level Common Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar for the purpose of determining the merit list for admission to the Diploma Engineering programs;
- (7) “Diploma Engineering” means all diploma level technical programs in Engineering approved by All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (8) “Counselling Committee” means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues;
- (9) “Left Wing Extremism (LWE) affected districts” means Surguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj, Kondagaon, Surajpur, Dantewada districts, and Non-Left Wing Extremism affected districtsmeans otherdistricts of Chhattisgarh State excluding Left Wing Extremism (LWE) affected districts.

3. Reservations for Admission. - The reservations for admission to the diploma programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to these programs.

4. Educational Qualification for Admission. -

- (1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs: Passed 10th class examination with Mathematics and Science as subjects from recognized board under (10+2) education system.

- (2) For admission to Diploma in Costume Design and Dress Making and Diploma in Interior Decoration programs - Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system.
- (3) For admission to Diploma in Modern Office Management and Diploma in Hotel Management and Catering Technology programs - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system.
- (4) For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system with subjects prescribed by AICTE.

Or

For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system and passed 2 years I.T.I. Certificate (issued from NCVT/SCVT) Examination.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
 - (a) PPT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of marks obtained in PPT.
 - (b) Class 10th (Mathematics and Science subject) Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in Mathematics and Science subject of class 10th for the candidates of Sarguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj, Kondagaon, Surajpur and Dantewada districts.
 - (c) Class 10th Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 10th examination.
 - (d) Class 12th Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 12th examination.
 - (e) Lateral Entry Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of I.T.I. marks of the candidates who want to get admission on the basis of I.T.I., and on the basis of percentage of marks of class 12th examination of the candidates who want to get admission on the basis of class 12th.
- (2) Among the candidates who obtain the same marks, percentage, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment. –

- (1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs-
 - (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
 - (a) Allotment of seats in Polytechnic Institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
 - (b) After the allotment as per Clause (a), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, allotment of the remaining seats shall be done to the candidates domiciles of the sedistricts who are

- listed in the class 10th(Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (c) After allotment as per Clause (a) and Clause (b), if the seats of Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts are left vacant, the allotment of the remaining seats shall be done first to the candidates domicile of the divisions related to these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of the division related to these districts who are listed in the Class 10th (Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (d) After allotment as per Clauses (a), (b) and (c), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6. Even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (B) For Polytechnic institutions situated in Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
- Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (2) For admission to Costume Design and Dress Making and Interior Decoration programs–
- (A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
- (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.
- (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (B) For Polytechnic Institutions situated in Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
- Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10th Merit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (3) For admission to Modern Office Management and Hotel Management and Catering Technology programs–
- (A) For Polytechnic institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –
- (a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and

if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.

- (b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.
- (B) For Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts

Allotment of seats in polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidatesdomicile of Chhattisgarh State who are listed in class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

- (4) For admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs.-

Allotment of seats for admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listedin the Merit list of Clause (e) of Sub-Rule(1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the Merit List of Clause (e) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counseling committee shall be final.

13. Amendment.-State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा छत्तीसगढ़ संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (बी.फॉर्मेसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी (डी.फॉर्मेसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (बी.फॉर्मेसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी (डी.फॉर्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, 2023” कहलायेगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) ‘पीसीआई’ से अभिप्रेत है, फॉर्मेसी कॉर्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (3) ‘संचालक’ से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) ‘अभ्यर्थी’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (5) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (6) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (7) ‘पीपीएचटी’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा बी.फॉर्मेसी एवं डी.फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य परेश परीक्षा, प्री फॉर्मेसी टेस्ट।
- (8) ‘काउंसिलिंग समिति’ से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण— बैचलर ऑफ फॉर्मेसी एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के पावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) चार वर्षीय बी.फॉर्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक—पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फॉर्मेसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।
- (2) द्विवर्षीय डिप्लोमा फॉर्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

परीक्षा निर्देश

प्री. पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा (Diploma Engineering) (PPT)- 2023

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	— 29.05.2023 (सोमवार)
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	— 18.06.2023 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3.	त्रुटि सुधार	— 19.06.2023 से 21.06.2023 तक
4.	व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	— 03.07.2023 (सोमवार)
5.	परीक्षा की तिथि (संभावित)	— 09.07.2023 (रविवार)
6.	परीक्षा का समय :	— पूर्वान्ह
7.	परीक्षा केन्द्र :	— 30 जिला मुख्यालयों में

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण—पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण—पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय—सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम को भली—भौति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।
- अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 Kb एवं न्यूनतम साइज 40 Kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें)
- अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 Kb एवं न्यूनतम साइज 40 Kb का हो, सेव कर रखें।
- कोविड 19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का पालन सभी अभ्यर्थियों को करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. **पात्रता :-** आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। **मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।**
2. **ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-**

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM” लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है –

1. त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में व्यापम को भेजा गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी “Track Application Status” में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ID डालेगा। फिर Captcha Enter करेगा। तदुपरांत OTP उसके ई-मेल व मोबाइल पर उपलब्ध होगा। OTP प्रविष्ट करने के बाद अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन दिखेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में की गई प्रविष्टियों को सुधार सकता है।
4. **OMR उत्तरशीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जायेगी।**
5. त्रुटि सुधार की सुविधा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद तक उपलब्ध रहेगी।
6. परीक्षा उपरांत एवं परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771–2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

- (अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें–
- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
 - (2) नीला/काला डाटपेन।
 - (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा।
 - (4) अभ्यर्थी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (5) परीक्षा केन्द्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

- नोट—** अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।
(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

8. परीक्षा पद्धति :-

उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेगे।

9. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर या सबसे उपयुक्त उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं अन्य उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Nagative Mark) नहीं दिये जाएंगे।

10. दावा/आपत्ति के निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम द्वारा निर्मित व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्षण में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा—आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभौति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

11. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो व कोई भी उत्तर सबसे उपयुक्त उत्तर न हो।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो।
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय—विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थीयों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 100 है, में से 03 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 97 प्रश्नों में से 82 अंक प्राप्त करता है तो बोनस अंक सहित अंकों की गणना इस प्रकार होगी –

$$\frac{\text{कुल सही उत्तरों की संख्या} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{82 \times 100}{100 - 3} = 84.536$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

12. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर रेकिंग सूची घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

13. अंकसूची :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परिणाम घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंकसूची व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

14. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

15. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

16. परीक्षा शहर एवं कोड नंबर-

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	—	कोड नंबर
1.	अम्बिकापुर (सरगुजा)	—	11
2.	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	—	12
3.	बिलासपुर	—	13
4.	दंतेवाड़ा	—	14
5.	धमतरी	—	15
6.	दुर्ग	—	16
7.	जगदलपुर (बस्तर)	—	17
8.	जांजगीर-चांपा	—	18
9.	जशपुर नगर	—	19
10.	कांकेर	—	20
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	—	21
12.	कोरबा	—	22
13.	महासमुंद	—	23
14.	रायगढ़	—	24
15.	रायपुर	—	25
16.	राजनांदगाँव	—	26
17.	बीजापुर	—	27
18.	नारायणपुर	—	28

19.	गरियाबंद	—	29
20.	बलौदा बाजार—भाटापारा	—	30
21.	बालोद	—	31
22.	बेमतरा	—	32
23.	मुंगेली	—	33
24.	कोण्डागाँव	—	34
25.	सूरजपुर	—	35
26.	बलरामपुर	—	36
27.	सुकमा	—	37
28.	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	—	38
29.	मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी (एम.एम.ए.)	—	39
30.	सकती	—	40

17. परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम —

क्र. जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1. अम्बिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2. बैकुण्ठपुर	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836-232252
3. बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर,	07752-246430
4. दंतेवाडा	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाडा	07856-240087
5. धमतरी	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722-237933
6. दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788-2211688
7. जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
8. जांजगीर—चांपा	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर—चांपा	07817-222240
9. जशपुर नगर	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763-223539
10. कांकेर	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868-222028
11. कबीरधाम	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741-232496
12. कोरबा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759-221458
13. महासमुंद	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723-222048
14. रायगढ़	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762-222966
15. रायपुर	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131
16. राजनांदगाँव	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	07744-225036
17. बीजापुर	शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर	94242-93022
18. नारायणपुर	शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर	94252-98192
19. गरियाबद	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबद	94077-30011
20. बलौदा बाजार—भाटापारा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बलौदा बाजार—भाटापारा	94255-23895
21. बालोद	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालोद	94256-38175
22. बेमतरा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बेमतरा	94241-28570
23. मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली	94255-43065
24. कोण्डागाँव	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागाँव	94255-95895
25. सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर	07775-266657
26. बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	98268-79840
27. सुकमा	शासकीय महाविद्यालय, सुकमा	94252-60241
28. गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही, शा.	भंवर सिंह पोर्ट, स्नातकोत्तर महा., पेण्ड्रा	9993825510
29. मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी	शासकीय महाविद्यालय, मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौक	94255-93004
30. सकती	शासकीय महाविद्यालय, सकती	94241-58552

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर

Syllabus for PPT –
(पी.पी.टी. परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम)

Total Marks-150

Total Questions-150

SCIENCE

UNIT - 1 GENERAL PROPERTIES OF MATTER AND SOUND

1.1 Measurement, Motion & Force:

Measurement: Measurement in International system of Units (S.I.), Tool of measurement: Vernier callipers, screw gauge, Spherometer, Physical balance and stop watch.

Motion: Uniform and non uniform motion, Particle, Body, Distance, Displacement, Speed, Velocity, Acceleration, Retardation, Difference between velocity and speed.

Force: Mass and Weight, Inertia, Classification of force, Friction and Factors affecting friction, sliding and rolling friction, advantage and disadvantage of friction, ways and means of increase and decrease of friction, importance of friction. Gravity and Gravitational force, Acceleration due to gravity.

1.2 Work and Energy:

Work : Definition, work done by Constant force, Kinetic and potential energy.

Heat & Temperature: Thermometer, Conversion of temperature in Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. Specific heat, Heat capacity, Calculation of specific heat by the method of mixture, Change of state, Latent heat, cooling due to evaporation, humidity and specific humidity, Heat expansion, Linear expansion, Superficial expansion, Volume expansion and its coefficient.

1.3 Wave and Sound:

Waves: Nature of waves, types of waves (longitudinal and transverse), simple harmonic motion, amplitude, Time period, Wave length, Relation between – Velocities, Frequency & Wave length. Sound: Nature of sound and its motion, range of hearing, ultrasonic waves and its application.

UNIT - 2 MATTER – STRUCTURE & BEHAVIOR

2.1 Matter – Nature and Behavior

Classification of matter based on chemical constitution; elements, compounds and mixtures, types of mixture.

Solution: Homogenous and heterogeneous, Suspension and Colloid, Concentration of solution.

Atoms and Molecules: Dalton's atomic theory, Modern atomic theory, atomic and molecular mass, The mole, law of constant proportion, calculation of percentage composition of elements in simple compounds, determination of empirical and molecular formula in simple substances.

2.2 Structure of Atom:

Constituents of an atom (Electrons, Protons and Neutrons), Atomic number, Atomic mass, Discovery of Nucleus, Bohr's Atomic model, Distribution of electrons in Shells (upto atomic number 1-20), Valency electrons and valency, Isotopes, Isobars, Isotones, Radio activity, Radio isotopes and their application.

UNIT - 3 LIGHT, ELECTRICITY AND MAGNETISM

- 3.1 Light:** nature of light, reflection of light, laws of reflection, reflection from plane and curved surface, image formation by plane convex and concave mirror, relation between focal length and radius of curvature, determination of focal length of concave mirror by single pin method, Relation between $u-v-f$. Refraction of light : Laws of refraction, refraction by glass slab, critical angle, total internal reflection, use of total internal reflection in daily life. Converging and diverging lens, Definition of focal length and optical center, image formation by lens. Human eye, its defects and remedies. Comparison between photographic camera and human eye. Construction, working, uses and way diagram of simple telescope and astronomical telescope.
- 3.2 Electricity and its effects:** electric intensity, potential, potential difference, electric current Ohm's law, Resistance, specific resistance, influencing factors, combination of resistances and related numerical examples. Thermal effect of current it's use, calculation of power and electrical energy. Chemical effects of electric current, Primary and secondary cells their properties and drawback, Leclanche cell, dry cell, lead accumulator cell.
- 3.3 Magnetic effect of current:** Magnetic effect of current, Oersted experiment, electro magnetic induction, electric motor, working principle and use of generator, general studies of alternating current and direct current, electric discharge in gases, discharge tube, cathode rays, X-rays and their properties.
- 3.4 Magnetism:** Magnet and it's types, artificial magnet, methods of preparing of magnets, molecular theory of magnetism, demagnetization, magnetic keepers, magnetic lines of force and their properties. Terrestrial magnetism, magnetic storm, magnetic meridian, geographical meridian, relation between V , H , I and θ .

UNIT – 4 CLASSIFICATION OF ELEMENTS, CHEMICAL BONDING, REACTION & SOME IMPORTANT COMPOUND:

4.1 Periodic Classification of Elements:

A brief historical perspective of periodic classification of elements, Modern periodic law, modern Periodic table, Periodic Properties in period and in groups, metallic and non metallic elements, atomic size, ionization energy and electron affinity.

- 4.2 Chemical Bonding** – Formation of Chemical Bonds, types of bonds-ionic and covalent bond, Electronegative and polar covalent compound, properties of ionic and covalent compound.
- 4.3 Chemical Reactions** – Chemical reaction, Formula of simple compound, equation of simple chemical reaction and their balancing. Types of Chemical reactions – Combination, decomposition, displacement, Oxidation and reduction.

4.4 Rate of chemical reaction and chemical equilibrium:

Preliminary knowledge of rate of chemical reaction, Fast and slow chemical reactions, Reversible and irreversible chemical reaction. Reversible reaction and dynamic nature of equilibrium, Acids and bases, pH scale, Exothermic and endothermic reactions.

4.5 Some important chemical compounds:

Method of production of washing soda, baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. Preparation of building material-lime cement, glass and steel. Laboratory method of preparing alcohol and acetic acid. Properties and uses of some general artificial polymers, polythene, polyvinyl chloride, Teflon. Soap and detergents.

UNIT – 5 NATURAL RESOURCES:

- 5.1 Metals:** Position of metals in the periodic table and general properties. Metal, mineral ore, Difference between mineral and ore. Metallurgy-concentration, roasting, smelting, refining of ores, Metallurgy of copper and Iron, Corrosion of metals, Alloys.
- 5.2 Nonmetals:** Position of nonmetals in the periodic table, preparation, properties and uses of hydrogen, oxygen and nitrogen.
- 5.3 Coal and petroleum:** Coal and petroleum as natural resources, Carbon and its compound, destructive distillation of coal. Petroleum its fractional distillation carbon tetravalency and catenation.
- 5.4 Hydrocarbon:** Structure and classification of saturated and un-saturated hydro carbons, Homologous series, Isomerism. Preparation and properties of methane, Ethane and Ethylene.
- 5.5 Source of Energy :** Conventional and new sources of energy, source of solar energy, causes of origin of energy in the sun, solar heating devices, solar cooker, solar cell, wind energy, biogas, fossil fuels, ideal fuel, properties of ideal fuel, Nuclear energy, nuclear Fission, Fusion, chain reaction, nuclear reactor, uses and harms of nuclear energy.

UNIT - 6 OUR ENVIRONMENT

- 6.1 Biosphere:** Definition, Ecosystem and Biosphere, structure of eco system, food chain, food web, trophic level, function of an eco-system, energy flow, Biogeochemical cycle of carbon and nitrogen, Biomass, biodiversity and its importance.
- 6.2 Pollution :** Causes of soil, water, air and sound pollution and their control. Ecological balance, natural resources uses and conservation of renewal and nonrenewable resources- water, soil and air conservation, green house effect, acid rain, depletion of ozone layer, biodegradable and non biodegradable materials.

...00...

MATHS

UNIT – 1 ALGEBRA

- 1.1 **Rational Number & Expressions** – Rational numbers, irrational numbers, Decimal representation of rational numbers, Properties of Rational numbers, Meaning of rational expressions. Addition, subtraction, multiplication of rational numbers and expressions, Factorization of expression involving cyclic factors.
- 1.2 **Surds** – Rationalization of surds, real numbers and properties of set of real numbers, Law of Radicals, Comparison of surds, Addition, Subtraction, Multiplication and division of surds, Rationalization of Monomial and Binomial surds.
- 1.3 **Indices** - Laws if indices, Important concepts on law of indices, Definition and laws of logarithms, logarithms to base 10, characteristic and mantissa, antilogarithm, use of table in all types of calculation.
- 1.4 **Ratio and Proportion** – Ratio and Proportion, Componendo, Alternendo, Invertendo and their applications.
- 1.5 **Polynomials** – Introduction on real numbers, degree of a polynomial, sum, difference, product and division of polynomials.
- 1.6 **Quadratic Equations** – Meaning and standard form of quadratic equation: $ax^2+bx+c=0$, $a \neq 0$, Solution of quadratic equation (i) By factorization method (ii) By formula method, Discriminate of the quadratic equation and nature of the roots.
Application of quadratic equation: Application involving quadratic equation from several area, Solution of equations reducible to quadratic form factorization of quadratic polynomials by using quadratic formula.
- 1.7 **Arithmetic Series** – Meaning, n^{th} terms of arithmetic series, sum of n^{th} terms and arithmetic mean.
- 1.8 **Linear Equation** - Solution of linear equations in two variables and their application.

UNIT – 2 TRIGNOMETRY

- 2.1 Trigonometric ratios: $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$, $\cot A$, $\sec A$, $\operatorname{cosec} A$.
- 2.2 Trigonometric ratios of 0° , 30° , 45° , 60° and 90° .
- 2.3 To find trigonometric ratios of 0° , 30° , 45° , 60° and 90° by Geometrical method.
- 2.4 Trigonometric equations: ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$)
- 2.5 Measurement of angle in different system degree, grade and radian, Relation between arc, radius and central angle.
- 2.6 Trigonometrical Identities:- Meaning of trigonometrical identities.
- 2.7 Problems on height and distance.

UNIT – 3 GEOMETRY

3.1 Fundamental concepts of Geometry: Introduction, point, line and plane incidence properties of point and lines.

3.2 Different theorems and/or axioms and their converse: of Straight line and angles, Congruence of Triangles, Locus and sum inequality relation in a triangle, Parallelograms, Linear Symmetry – Symmetrical figured, axioms based on linear symmetrical pictures, Similar Triangle and Circle.

UNIT – 4 CO-ORDINATE GEOMETRY

Distance formula, section and mid-point formula.

Area of triangle, conditions for three points to be collinear, Centroid and Incentre of triangle.

UNIT – 5 MENSURATION

5.1 Area of triangle and rectangle.

5.2 Area and circumference of circle, Area of sector of circle and length of arc of circle.

5.3 Area of four walls of cube and cuboids, surface area and volume of cube and cuboids.

5.4 Surface Area and Volume of prism, cylinder, cone and sphere.

UNIT – 6 STATISTICS

6.1 Statistics and its definition: Meaning of statistics in singular and plural sense, Raw Data.

6.2 Collection and presentation of Data, Arranging data in ascending and descending order, Variate, class-interval, class-size, class-mark, frequency of a class, cumulative frequency of a class, class-limit, true class-limits, construction of cumulative frequency table, Inclusive and Exclusive class.

6.3 Graphical representation of statistical data, frequency polygon, cumulative frequency curve, histogram.

6.4 Problem based on mean, median, mode and pie chart.

6.5 Preliminary knowledge of probability (based on single event only).

UNIT – 7 COMPUTER

7.1 Introduction, What is computer, working of computer, Basic structure of a computer, constituents of a computer.

7.2 Mathematical logic – Statement use of Venn diagram in logic, negative statement, conjunction, Disjunction, Implication, Biconditional, Truth table.

7.3 Binary digit system, change in binary number to decimal number and decimal number to binary number.

विज्ञान

भाग – 1 पदार्थ के सामान्य गुणधर्म एवं ध्वनि :

1.1 मापन, गति एवं बल –

मापन : मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति (S.I.) मापन के यंत्र, वर्नियर–कैलिपर्स, पैंचमापी, स्फैरोमीटर, भौतिक तुला एवं विराम घड़ी ।

गति : समान एवं असमान गति, कण, पिण्ड, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन, वेग एवं चाल में अंतर ।

बल : द्रव्यमान एवं भार, जड़त्व, बलों का वर्गीकरण, घर्षण एवं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, सर्पिल एवं बेलन घर्षण, घर्षण से लाभ एवं हानि, घर्षण को कम करने एवं बढ़ाने के उपाय, घर्षण का महत्व, गुरुत्व एवं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण ।

1.2 कार्य एवं उर्जा :

कार्य : परिभाषा, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, स्थैतिक एवं गतिज उर्जा ।

उष्मा एवं ताप : थर्मोमीटर, सेलिसियस, फेरेनहाइट एवं केल्विन तापमानों का पारस्परिक परिवर्तन, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, मिश्रण विधि से विशिष्ट उष्मा की गणना । अवस्था परिवर्तन, गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण के कारण ठंडक होना, आर्द्रता एवं आपेक्षिक आर्द्रता । उष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार एवं इनके गुणांक ।

1.3 तरंग एवं ध्वनि ।

तरंग : तरंग, तरंग की प्रकृति, तरंगों के प्रकार (अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगें), सरल आवर्त गति, आयाम, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग, आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में संबंध ।

ध्वनि : ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि का संचरण, श्रवण परास, पराश्रव्य ध्वनि एवं इसके अनुप्रयोग ।

भाग – 2 द्रव्य : संरचना एवं व्यवहार

2.1 द्रव्य की प्रकृति एवं व्यवहार :

द्रव्य का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, तत्त्व, यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार

विलयन : समांगी एवं विषमांगी विलयन, निलंबन एवं कोलायड, विलयन की सांद्रता ।

परमाणु एवं अणु : डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान, मोल, स्थिर अनुपात का नियम, साधारण यौगिकों में तत्त्व के प्रतिशत संगठन की गणना करना । साधारण पदार्थों में मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र की गणना करना ।

2.2 परमाणु संरचना :

परमाणु के अवयव (इलेक्ट्रान, प्रोट्रॉन, न्यूट्रॉन) परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, नाभिक की खोज, बोर का परमाणु मॉडल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रान का वितरण (परमाणु कमांक 1–20 तक के तत्त्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास) संयोजी इलेक्ट्रान एवं संयोजकता, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रानिक, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग ।

भाग – 3 प्रकाश, विद्युत एवं चुम्बकत्व

3.1 प्रकाश – प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, फोकस दूरी तथा वकता त्रिज्या में संबंध, एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, न.आ.मे संबंध, प्रकाश का अपवर्तन : अपवर्तन के नियम, कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन, कांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, अभिसारी एवं अपसारी लैंस, परिभाषा फोकस दूरी और प्रकाशिक केन्द्र, लैंस द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, मानव नेत्र इसके दोष एवं निराकरण तथा फोटो ग्राफिक कैमरे और मानव नेत्र में तुलना, सरल दूरदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, बनावट, उपयोग, कार्यविधि एवं किरण आरेख ।

3.2 विद्युत और इसके प्रभाव : विद्युत तीव्रता, विभव–विभवांतर, विद्युत धारा, ओह्म का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसको उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत उर्जा व्यय की गणना, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल, इनके गुण–दोष, लेकलाशी सेल, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल ।

- 3.3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव : विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव, ओस्टर्ड का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर, जनित्र की कार्य प्रणाली सिद्धांत एवं उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा का सामान्य अध्ययन। गैसों में विद्युत विसर्जन, विसर्जन नलिका, कैथोड किरणें, एक्स किरणें एवं इनके गुणधर्म।
- 3.4 चुम्बकत्व : चुम्बक एवं इसके प्रकार, कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक बनाने की विधियाँ, चुम्बकत्व का आणविक सिद्धांत, चुम्बकीय विनाश, चुम्बकीय रक्षक, चुम्बकीय बल रेखायें व उनके गुण। भु-चुम्बकत्व : भू-चुम्बकत्व, चुम्बकीय तूफान, चुम्बकीय एवं भौगोलिक याम्योत्तर, V,H,I एवं θ में संबंध।

भाग – 4 तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक बंध, रासायनिक अभिक्रियायें एवं महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक :

- 4.1 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण :
तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त एवं वर्ग में आवर्ती गुण, धातु एवं अधातु, परमाणु आकार, आयनन उर्जा, इलेक्ट्रान बंधुता।
- 4.2 रासायनिक आबंधन : रासायनिक बंध का निर्माण, बंध के प्रकार, वैद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी यौगिकों के गुण, विद्युत ऋणात्मक एवं ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक
- 4.3 रासायनिक अभिक्रियायें : रासायनिक अभिक्रिया, सरल यौगिकों के सूत्र, साधारण रासायनिक अभिक्रियायें एवं उनका संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, योगात्मक, अपघटन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियायें, ऑक्सीकरण एवं अपचयन।
- 4.4 रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य : रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मद रासायनिक अभिक्रियायें, उत्कर्षणीय एवं अनुकर्षणीय रासायनिक अभिक्रियायें, रासायनिक साम्य की गतिक प्रकृति, अम्ल एवं क्षार, झूँपैमाना, उष्णाक्षेपी एवं उष्णाशोषी अभिक्रियायें।
- 4.5 कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक : कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण एवं उपयोग, बनाने की विधि, उत्पादन, भवन निर्माण संबंधी कुछ पदार्थों का निर्माण : चूना, सीमेंट, कॉच एवं इस्पात। ऐल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉली विनाइलकलोराइड, टेफ्लन, साबुन एवं अपमार्जक का गुण एवं उपयोग।

भाग – 5 प्राकृतिक संसाधन :

- 5.1 धातुएँ : आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण। धातु खनिज, अयस्क खनिज एवं अयस्क में अंतर। धातु कर्म : अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन। कॉपर एवं आयरन का धातुकर्म, धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातुएँ।
- 5.2 अधातुएँ : आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि, गुण एवं उपयोग।
- 5.3 कोल एवं पेट्रोलियम : प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्बन एवं उसके यौगिक। कोयले का भंजक आसवन, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, कार्बन की चतुर्संयोजकता एवं कार्बन की श्रृंखलन क्षमता।
- 5.4 हाइड्रोकार्बन : संरचना एवं वर्गीकरण, संतृप्त एवं असंतृप्त, सजातीय श्रेणी, समावयवता, मेथेन, ऐथेन, एथिलीन बनाने की विधि एवं गुण।
- 5.5 उर्जा के स्रोत : उर्जा के नवीन स्रोत एवं पारंपरिक स्रोत, सौर उर्जा का स्रोत, सूर्य में उर्जा उत्पत्ति के कारण, सौर तापन युक्तियाँ, सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन उर्जा, जल उर्जा, बायो गैस, जीवाश्म ईंधन, आदर्श ईंधन के गुणधर्म, नाभिकीय उर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय उर्जा के लाभ एवं हानियाँ।

भाग – 6 हमारा पर्यावरण :

- 6.1 जैव मंडल : परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र की सरचना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पोषण स्तर, परितंत्र के कार्य, उर्जा प्रवाह कार्बन एवं नाईट्रोजन का जैव रासायनिक चक्र, जैव भार, जैव विविधता एवं महत्व।
- 6.2 प्रदूषण : मृदा, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण के कारण, रोकथाम एवं नियंत्रण। पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकृत, अनवीनीकृत संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। जल, मृदा एवं वायु का संरक्षण, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोनपर्त का क्षरण, बायोडिग्रेबल एवं नानबायोडिग्रेबल पदार्थ।

गणित

भाग – 1 बीज गणित –

- 1.1 परिमेय संख्या एवं व्यंजक – परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण इन संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर संकियायें। (दशमलव के रूप में) परिमेय व्यंजक – अर्थ, परिमेय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, चक्रीय गुणनखंड ज्ञात करना।
- 1.2 करणी – करणी एवं करणी का परिमेयकरण, वास्तविक संख्यायें, करणी चिन्ह, करणी चिन्ह के नियम, करणी पर संकियायें (तुलना, योग, अंतर, गुणा, भाग) एक पदीय एवं द्विपदीय करणी का परिमेयकरण।
- 1.3 घातांक – घातांक के नियम एवं इनके अनुप्रयोग (पूर्णांक, परिमेय घात सहित) लघुगणक का अर्थ इनके नियम एवं अनुप्रयोग (पूर्णांश एवं अपूर्णांश), प्रति लघुगणक का अर्थ।
- 1.4 अनुपात एवं समानुपात – अनुपात एवं समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग।
- 1.5 बहुपद – परिभाषा एवं परिचय (वास्तविक संख्याओं पर) बहुपद के घात, बहुपदों का योग, व्यक्तन, गुणनफल, भागफल, शेषफल प्रमेय एवं गुणनखंड प्रमेय।
- 1.6 वर्ग समीकरण – वर्ग समीकरण का अर्थ व मानक रूप $x^2 + bx + c = 0$ गुणनखंड विधि, वर्ग समीकरण का विकृतकर एवं मूलों की प्रकृति। वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग – वर्ग समीकरण का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग, वर्ग समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाले समीकरणों का हल, सूत्र की सहायता से वर्गीय बहुपदों का गुणनखंड करना।
- 1.7 समांतर श्रेणी – परिभाषा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद (द्वां पद) तथा द पदों का योगफल। समांतर मध्य।
- 1.8 रैखिक समीकरण – दो चर राशियों का रैखिक समीकरण हल करने की विधियाँ, समीकरणों की संगतता एवं इसका अनुप्रयोग।

भाग – 2 त्रिकोणमिति –

- 2.1 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, ज्या ($\sin A$), कोज्या ($\cos A$), स्पर्शज्या ($\tan A$), व्युत्क्रम ज्या ($\cosec A$), व्युत्क्रम कोज्या ($\sec A$), व्युत्क्रम स्पर्शज्या ($\cot A$)
- 2.2 0, 30, 45, 60, 90 अंश कोणों के लिये त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान।
- 2.3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का रूपांतरण एवं उस पर आधारित प्रश्न।
- 2.4 त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल (0 से 90 अंश के बीच में)।
- 2.5 त्रिकोणमिति के कोणों की मापष्टिक, शक्तिक एवं वृत्तीय पद्धति, चाप-त्रिज्या एवं केन्द्रीय कोण में संबंध।
- 2.6 त्रिकोणमितिय सर्वसमिकायें – त्रिकोणमिति सर्वसमिका का अर्थ।
- 2.7 उँचाई एवं दूरी के संबंध में प्रश्न।

भाग – 3 ज्यामिति

- 3.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणायें : परिचय, बिन्दु, रेखा एवं समतल
- 3.2 सरल रेखा और कोण, त्रिभुज की सर्वांगसमता, बिन्दु पथ, समान्तर चतुर्भुज, रेखीय सममिति, समरूप त्रिभुज, वृत्त के संबंध में विभिन्न प्रमेयों एवं / अथवा अभिग्रहीतों (स्वयं सिद्ध) और उनके विलोम।

भाग – 4 निर्देशांक ज्यामिति

दो बिन्दुओं के बीच की दूरी, रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन (विभाजन सूत्र), त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन बिन्दुओं के समरेख का प्रतिबंध (शर्त)। त्रिभुज का केन्द्रक व अंतःकेन्द्र।

भाग – 5 क्षेत्रमिति –

- 5.1 त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
- 5.2 वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एवं चाप की लंबाई।
- 5.3 घन, घनाभ एवं चारों दीवारों की अवधारणा, घन व घनाभ का पष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन।
- 5.4 प्रिज्म, बेलन, शंकु एवं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।

भाग – 6 सांख्यिकी –

- 6.1 सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा – सांख्यिकी का एक वचन व बहु वचन के रूप में अर्थ, कच्चे आंकड़े, सांख्यिकी की सारभूत विशेषतायें ।
- 6.2 आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण आरोही एवं अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिखना, सारिणी बद्ध रूप, आवृत्ति एवं आवृत्ति वितरण सारिणी का ज्ञान, वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह, वर्ग संख्या, वर्गीकरण में सावधानियाँ एवं विधि, आवृत्ति वितरण सारिणी तैयार करना, संचयी आवृत्ति सारणी तैयार करना, समावेशी एवं असमावेशी वर्गों का ज्ञान एवं बदलना
- 6.3 सांख्यिकी आंकड़ों का ग्राफ में प्रस्तुतीकरण, आयत चित्र आवृत्ति, संचयी आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, वक (तोरण) एवं इनका आलेखण ।
- 6.4 माध्य, मीडियन, मोड एवं पाईंचार्ट पर प्रश्न ।
- 6.5 प्रायिकता का प्रारंभिक ज्ञान (केवल एक घटना पर आधारित)

भाग – 7 कम्प्यूटर

- 7.1 परिचय, अर्थ, कार्य, कम्प्यूटर का प्रतिरूप व संरचना ।
 - 7.2 गणितीय तर्क – कथन वेन आरेख का तर्क में प्रयोग, निषेधात्मक संकिया, मूलभूत तार्किक संयोजक तथा संयुक्त कथन उनके निषेधात्मक मान के साथ, सत्यता सारणी ।
 - 7.3 द्विआधारी अंकन पद्धति, संकियायें द्विआधारी का दाशमिक में एवं दाशमिक का द्विआधारी में परिवर्तन ।
-



प्री. पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा (Diploma Engineering) (PPT)- 2023

ऑनलाइन फार्म भरने से पहले निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान देवें

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार-बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन से स्वमेव आ जायेगी। इससे त्रुटि की संभावना कम होगी।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को समय दिया गया है। परीक्षा दिवस के दिन ओ.एम.आर./OMR उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें।
5. आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।
6. व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in में ऑनलाइन फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 Kb एवं न्यूनतम साइज 40 Kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 Kb एवं न्यूनतम साइज 40 Kb का हो, सेव कर रखें, जिसे आवेदन पत्र (फार्म) में अपलोड किया जा सके।
7. आवेदन फार्म भरने से पहले फार्म में आवश्यक जानकारियों एक कोरा कागज में लिख कर तैयार रखें एवं ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
8. आपका वैध E-mail (ई मेल) आई.डी. होना आवश्यक है। अतः अपना E-mail बनाकर तैयार रखें।
9. अन्य राज्य के अभ्यर्थी व्यापम के Home Page के Check Transaction Status में भी Registration ID डालकर अपने आवेदन पत्र की स्थिति देख लें, जिससे आप सुनिश्चित हो जायें कि आपका आवेदन मय शुल्क के व्यापम में पहुँच चुका है। इसी Registration ID नम्बर के आधार पर परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर परीक्षा के पूर्व लोड किये जायेंगे जिसमें से प्रिंट प्राप्त कर आप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।



प्री. पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा (Diploma Engineering) (PPT)- 2023

प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म

अभ्यर्थी स्वयं के संबंध में बिन्दुवार मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें, जो निम्नानुसार है :-

1. **Mobile No. Verification-** अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर अंकित करें ।
2. **First Name, Middle Name & Last Name.-** अभ्यर्थी अपना नाम अंकित करें ।
3. **Create Password -** अभ्यर्थी अपना पासवर्ड अंकित कर, पासवर्ड की पुष्टि करें ।
4. **Basic Information –** में अभ्यर्थी स्वयं की मूलभूत जानकारी अंकित करें ।
5. **Candidate`s Name-** अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में लिखें ।
6. **Relative`s Type-** अभ्यर्थी अपने रिश्तेदार का प्रकार का चयन करें, उसी अनुसार Father/Mother/Husband—(पिता, माता, पति) में किसी एक को सेलेक्ट करें । उपरोक्तानुसार नाम में से संबंधित के नाम को केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/ श्रीमती/ स्व. आदि न लिखें ।
7. **Relative`s Name –** रिश्तेदार का नाम के साथ माता का नाम भी केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/ श्रीमती/ स्व. आदि न लिखें ।
8. **Gender में (लिंग)** पुरुष, महिला या तृतीय लिंग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें ।
9. **Date of Birth-** जन्मतिथि को (दसवीं की अंकसूची में दर्शाये अनुसार) दिनांक, माह एवं वर्ष में ड्राप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करें । (जैसा कि 27 दिसंबर 1987 को दिनांक के बॉक्स में 27, माह के बॉक्स में दिसंबर एवं वर्ष के बॉक्स में 1987 सेलेक्ट करें)
10. **Domicile of Chhattisgarh:** (छत्तीसगढ़ के निवासी)– यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हॉ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।
11. **Family Yearly Income:** अभ्यर्थी पारिवारिक वार्षिक आय का उल्लेख करें ।
12. कृपया अपना स्वयं का फोटो अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
13. कृपया अपना हस्ताक्षर का फोटो भी अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
14. **Are you Person with Disability (PWD) में (दिव्यांग वर्ग)** क्या आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित है ? Yes या No सेलेक्ट करें।
15. **Other Information/अन्य जानकारी – Nationality/नागरिकता** अभ्यर्थी नागरिकता का चयन करें ।
16. **Category (Caste)-** में वर्ग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें।
17. **District Domicile-** (स्थानीय जिला निवासी)– आप जिस जिले के स्थानीय निवासी हैं, उस जिले का चयन करें ।
18. **Marital Status:** (वैवाहिक स्थिति) – यदि आप विवाहित हैं तो हॉ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।
19. **Email Id-** प्रत्येक आवेदक का ईमेल आई.डी होना अनिवार्य है । यदि नहीं है तो अपना ईमेल आई.डी. अवश्य बना लें तथा इस वैध ईमेल आई.डी को इस खंड में अंकित करें । पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एडमिट कार्ड या कोई भी जानकारी नहीं भेजी जावेगी ।
20. **Mobile No.-** में अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है । मोबाइल नंबर के पहले शून्य (0) न लिखें ।

21. Present Address/ - वर्तमान पता – अभ्यर्थी अपना डाक का पता को House No. में मकान नंबर (यदि हो तो) Street Name में सड़क/मोहल्ला का नाम, City/Village में शहर/गाँव का नाम, State में राज्य का नाम, District में निवास जिले का नाम सेलेक्ट करें। पिन में अपने डाकघर का पिन कोड अंकित करें। Permanent Address/स्थाई पता वर्तमान पते के समान होने पर उपरोक्तानुसार अंकित करें।
22. Declaration- (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –
“ मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।”
23. I Agree— / (मैं सहमत हूँ) –इसमें उपरोक्त Declaration घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें।
24. Captcha/कृपया कैचा को दर्ज करें।
25. इसके पश्चात **Submit** में क्लिक करें।



**प्री. पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा (Diploma Engineering) (PPT)- 2023
ऑनलाइन आवेदन करने की विधि**

Online Application Form – PPT23 में क्लिक करते ही

“Application for Pre Polytechnic Entrance Exam (Diploma Engineering) (PPT)- 2023”
का एक पेज खुलेगा” जिसमें दी गई जानकारी अनुसार कार्य करें।

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण—पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण—पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय—सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।

Exam Pre-requisites :-

Please Select C.G. Domicile District (अपने निवासी जिले का चयन करें)

टीप – Basic Information/मूलभूत जानकारी, Other Information/अन्य जानकारी, Present Address स्वयं से आपके द्वारा दी गई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से आ जायेगी।

Exam city- जिस शहर में परीक्षा देने चाहते हैं का चयन करें।

For Physically Handicapped Candidate : Do you need to scribe (Writer) ?-
(क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

Class/ श्रेणी—

Do you belong any class ?- (क्या आप किसी वर्ग से सम्बंधित हैं?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

Declaration- (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –

‘मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।’

I Agree— / (मैं सहमत हूँ) – इसमें उपरोक्त Declaration घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें।

Captcha/कृपया कैचा को दर्ज करें।

इसके पश्चात Submit में क्लिक करें।



Chhattisgarh Professional Examination Board, Raipur छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर

Home Change Password Contact Us Help
Welcome TESTING Sign Out

Application Form For Pre. Polytechnic Entrance Exam(PPT) - 2023

Important Instructions

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण काउन्सिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरानभी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरसीट पर कोई त्रुटिसुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।

Exam Pre-requisite

Please select your domicile district कृपया अपना स्थानीय जिले का चयन करें*

Raipur

Cancel

Basic Information / मूलभूत जानकारी

Candidate's Name / उम्मीदवार का नाम

TESTING

Relative's Type (रिश्तेदार का प्रकार) *

Father

Relative Name (रिश्तेदार का नाम)

SHRI FATHER

Mother's Name / माता का नाम

SHRIMATI MOTHER

Gender / लिंग

Male

Date of Birth / जन्म की तारीख

22-Oct-1990


Category / वर्ग

GENERAL

Payable Amount / भुगतान राशि

0

Uploads / अपलोड



Other Information / अन्य जानकारी

Marital Status / वैवाहिक स्थिति

Unmarried

Nationality / नागरिकता

Indian

Domicile of Chhattisgarh / छत्तीसगढ़ के निवासी

Yes

Email ID / ईमेल

Mobile No (मोबाइल नंबर)

0909909090

District Domicile

Raipur

Present Address / वर्तमान पता

House No / मकान नंबर

HOUSE NUMBER C\4

Street / स्ट्रीट

RAJENDRA NAGAR

City/Village / शहर / गांव

RAIPUR

State / राज्य

Chhattisgarh

District / जिला

Raipur

Pin Code / पिनकोड

492001

Application Applied for Exam City

Exam City *

--Select--

For Physically Handicapped Candidate: Do You need to Scribe(Writer) ? (क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है?) *

No

Class / श्रेणी

Do you belong any class?/ क्या आप किसी वर्ग (Class) से सम्बंधित हैं? *

Yes

No

Declaration / घोषणा

Declaration / घोषणा *

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा आँनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्ण सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

I do hereby declare, that the information given above related to my Name, Category, Gender, Date of Birth, Address and all other information given above are correct and I truthfully declare it to be correct. I have gone through the rules and other information related to the entrance exam notified by the department and CGVYapam and understood the same .If any information given above is found to be incorrect at any stage, my

I Agree (मैं सहमत हूँ)

Captcha / कृपया कैप्चा को दर्ज करें *

mCBde



[Submit](#)

[Cancel](#)

© 2023 CHIPS. All rights reserved.

This web site is best viewed in Google Chrome, Internet Explorer 9 and above.